प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 14.11.2025

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6886 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 03 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल पीआरवी 6886 को थाना दुधारा क्षेत्रांतर्गत लोहरौली बाजार से कालर द्वारा बाइक व कार में टक्कर होने से दुर्घटना में घायल 03 व्यक्तियों (01.सलमान पुत्र अब्दुल, 02.फातिमा पत्नी सलमान निवासीगण दुधारा, 03.शेरू पुत्र लालमैन ग्राम उसरा शहीद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियो द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सीएचसी सेमरियावा भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना दुधारा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायलों को ईलाज हेतु सीएचसी सेमरियावा भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

***पीआरवी स्टाफ-* हे0का0 राकेश कुमार, का0 अमित कुशवाहा, हो0चा0 परमेश्वर।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 577 वाहनों से 6,12,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 14.11.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 577 वाहनों से 6,12,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामले में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 3000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 13.11.2025 को मा0 न्यायालय सी0जे0(एस0डी0) ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 3000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

दिनाँक- 17.06.2005 को वादी श्री आस मोहम्मद पुत्र वाजिद अली निवासी बखिरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के साथ प्रतिवादी अमर खान उर्फ जुम्मन पुत्र अब्दुल मजीद निवासी बखिरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा गाली गलौज करते हुए मारपीट व जान से मारने की धमकी दी गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बखिरा पर एन0सी0आर0 नं0- 90/2005 धारा 323, 504,506 भादवि पंजीकृत कराया गया था।

सजा विवरणः-

उक्त मामले में मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त अमर खान उर्फ जुम्मन को अन्तर्गत धारा 323,504,506 भादवि में न्यायालय उठने तक का कारावास तथा 3000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 30 दिवास का कारावास भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामले में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 3000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 12.11.2025 को मा0 न्यायालय सी0जे0(एस0डी0) ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 1200 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

दिनाँक- 24.05.2002 को वादी श्री गोविन्द तुरहा पुत्र प्रहलाद निवासी बखिरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के साथ प्रतिवादी जीतन तुरहा पुत्र जगरनाथ निवासी बखिरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा गाली गलौज करते हुए मारपीट की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बखिरा पर एन0सी0आर0 नं0- 128/2002 धारा 323, 504 भादवि पंजीकृत कराया गया था।

सजा विवरणः-

उक्त मामले में मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त जीतन तुरहा को अन्तर्गत धारा 323,504 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा तथा 1200 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवास का साधारण कारावास भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के मामले में अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 4000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 12.11.2025 को मा0 न्यायालय सी0जे0(ए0स0डी0)/ एफ0टी0सी0 प्रथम ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 4000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

दिनाँक – 03.06.2003 को थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर में वादी उ0नि0 श्री बद्री प्रसाद कन्नौजिया थाना बखिरा द्वारा मय पुलिस बल के साथ अभियुक्त मेराज पुत्र चनई निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को 07 अदद गोवंशीय पशु का चमड़ा ले जाते समय बरामद किया था, जिसके सम्बन्ध में थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 166/2005 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट पंजीकृत कराया गया था, जिसमें विवेचक उ0नि0 श्री बनारसी यादव थाना बखिरा द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मा0 न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट में जेल में बितायी गयी अवधि व 4000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आर्म्स एक्ट के अपराध में अभियुक्त को 04 दिवास का साधारण कारावास व 2000 रू0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 14.11.2025 को ***माननीय न्यायालय सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर*** द्वारा अभियुक्त को आर्म्स एक्ट के मामले में 04 दिवस का साधारण कारावास व 2000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

दिनाँक 23.07.2006 को अभियुक्त को 01 अदद अवैध कट्टा .12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .12 बोर बरामदगी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 1088/2006 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कराया गया था। उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त व्यास मुनी पाठक पुत्र फडीस चन्द पाठक निवासी दशहरा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकरोक्ति के आधार पर धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अपराध के लिए 04 दिवस का साधारण कारावास व 2000 रु0 जुर्माने से दण्डित किया जाता है। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए यवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना दुधारा पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 300/2025 धारा 137 (2) बी0एन0एस0 थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता रामू उर्फ छोटू पुत्र रामप्रसाद खइया थाना फूलबेहड़ जनपद लखीमपुर खीरी को आज दिनाँक 14.11.2025 को पिपराबोरिंग तिराहा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनांक 20.08.2025 को वादिनी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना दुधारा पर प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना दुधारा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री राम कुशल सिंह, का0 रंजन कुमार, का0 आनन्द पटेल म0का0 आरती सिंह।